

अलवर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में भरा पानी

तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है

अलवर । अलवर जिले में गुरुवार सुबह से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग पहले ही तेज बारिश का अलर्ट जारी कर चुका था, जिसे देखते हुए कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने एहतियातन जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के आदेश जारी किए।

तेज बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर पानी भरने से मरीजों और परिजनों को खाली परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, अंबेडकर सर्किल पर भी पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ। अठासेन ओवरब्रिज के पास जलभराव के चलते ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

सिलीसेड बांध में आसपास के पहाड़ों से पानी तेजी से आ रहा है। ठामीणी का कहना है कि अगर इसी तरह पानी आता रहा तो देर शाम या रात तक सिलीसेड बांध भर जाएगा। 200 फीट रोड पर फ्रेंड्स गार्डन के बगल वाली सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इससे करीब 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। गरबाजी के पास तेज बारिश होने के कारण झरना उफान पर रहा।

जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अपील : अलवर जिले



अलवर जिले में गुरुवार सुबह से ही तेज बारिश के बाद बाजारों में पानी भर गया।

में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर्तिका शुक्ला ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण नदियों, नालों, झरनों, जोहड़ों और पहाड़ी इलाकों में पानी का बहाव तेज हो गया है, ऐसे में आमजन इन क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें।

डॉ. शुक्ला ने विशेष रूप से अगाह किया कि तेज बहाव की स्थिति में किसी भी पुलिया या बहती सड़क को पार करने का प्रयास न करें। जर्जर भवनों में रहना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उनका उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि विद्युत पोल,

खुले तारों और अन्य जोखिम वाले स्थानों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यदि किसी स्थान पर जर्जर भवन, जलभराव या अन्य खतरे की स्थिति हो, तो तुरंत जिला कंट्रोल रूम नंबर 0144-2338000 पर सूचना दें।

कलेक्टर ने कहा कि आपसी सहयोग और सतर्कता से हम आपदाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और खुद के साथ दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

रामगढ़ के उपखंड ऑफिस भवन की फ्रंट दीवार के साथ करीब डेढ़ फीट व्यास का गड्ढा बन गया।

रामगढ़ के उपखंड ऑफिस भवन की सुरक्षा को लेकर आमजन की चिंता

बढ़ गई है। भवन की फ्रंट दीवार के साथ करीब डेढ़ फीट व्यास का गड्ढा बन गया है। इस छोटे से गड्ढे में सिविल एवं एसडीएम कोर्ट परिसर में जमा हजारों लीटर बरसाती पानी समा गया है। भवन की नींव में इतनी बड़ी मात्रा में पानी समाने से सुरक्षा खतरे को देखते हुए गुरुवार को दोपहर बाद रामगढ़ बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की।

बार एसोसिएशन के एडवोकेट संजीव अरोड़ा, धर्मपाल, अमित कोसटिया, रघुवीर कसाना, राजू सांवरीया, राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा, राकेश यादव, संजय वर्मा, मनीष

पोसवाल, बार एसोसिएशन अध्यक्ष चरणजीत सिंह और अन्य वकीलों ने बताया कि पिछले एक महीने में कई बार इस गड्ढे के बारे में पूर्व एसडीएम को अवगत कराया गया था। मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

तेज बारिश के बाद कोर्ट परिसर में जमा पानी इस गड्ढे से सीधे भवन की नींव में समा गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चरणजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में वर्तमान एसडीएम से भी बात की गई, लेकिन उनकी कार्यशैली संतोषजनक नहीं लगी। एसडीएम अनिल मीना ने बताया-उन्होंने पिछले सप्ताह ही यहां कार्यभार संभाला है। उन्होंने स्वीकार किया कि भवन की नींव में बड़ी मात्रा में पानी गया है।

वरिष्ठ उप सचिव पंवार को भावभीनी विदाई

अजमेर (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वरिष्ठ उप सचिव भंवर सिंह पंवार की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोग कार्मिकों द्वारा समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि सरकारी कर्मियों को जिस दिन सरकारी सेवा के लिए पदभार मिलता है उसी दिन सेवानिवृत्ति का दिन भी तय हो जाता है। भंवर सिंह पंवार ने राजकीय सेवा के अपने दीर्घ कार्यकाल के दौरान पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। संपूर्ण आयोग परिवार इनकी सेवाओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इनके सुखद भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। आयोग सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने भी पंवार को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

अपने संबोधन में आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने पंवार की कार्य के प्रति निष्ठा एवं प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए आयोग के कार्यों में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। पंवार ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए और आयोग अध्यक्ष, सदस्यों एवं सभी सहकर्मियों के प्रति आभार प्रकट किया। समारोह में आयोग के कार्मिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पंवार को साफा पहनाकर सम्मान-पत्र भेंट किया। राजपत्रित अधिकारी संघ की ओर से दयाकर शर्मा तथा जितेंद्र उदय एवं मंत्रालयिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष नरेंद्र ने माल्यार्पण कर पंवार को अभिनंदन किया। कार्यक्रम दौरान मंच संवादन अनुभाग अधिकारी दिनेश सिंगोदिया द्वारा किया गया।

दो परिवार की सुनवाई पर फैसला

■ दो निजी बीमा कंपनियों पर लगाया हर्जाना

जोधपुर, (कासं)। जिला उपभोक्ता आयोग जोधपुर द्वितीय ने दो परिवार मंजूर करते हुए व्यवस्था दी है कि निवेश या व्यावसायिक उद्देश्य से ली गई बीमा पॉलिसी धारक उपभोक्ता की श्रेणी में आने से परिवार पोषणीय है, वहीं दूसरे परिवार में बैंक द्वारा बीमा पॉलिसी रह करने की सूचना नहीं देने को अनुचित व्यापार व्यवहार माना है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा और सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 10 हजार रुपए हर्जाना तथा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बैंक ऑफ इंडिया पर बीस बीस हजार रुपए हर्जाना लगाया है।

पहले मामले में हर्षिता कोठारी ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से परिवार दायर कर कहा कि उनकी माताजी ने पांच लाख रुपए का जीवन बीमा एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 24 फरवरी 2023 को बीमाधारी की मृत्यु का दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि बीमा पॉलिसी लेते वक़्त आवश्यक तथ्य छुपाए थे। परिवारी की ओर से बय्य करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि बीमा पॉलिसी के समय आयकर रिटर्न और अन्य बीमा पॉलिसी का हवाला दिया था। बीमा कंपनी की ओर से आपत्ति की गई कि बीमा आवरण यूजुल पॉलिसी है, जो निवेश के उद्देश्य से ली गई है, जो व्यावसायिक गतिविधि होने से परिवारी उपभोक्ता नहीं है।

जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवार मंजूर करते हुए दस हजार रुपए हर्जाना और पांच हजार रुपए परिवार व्यय लगाते हुए कहा कि यूजुल के बहाने से मृत्यु दावे को नकारना सेवा दोष है और

परिवारी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उन्होंने पांच लाख रुपए मय्य ब्याज 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया।

दूसरे मामले में मधुबाला उपाध्याय ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया ने बचत खाता होने से वर्ष 2011 से प्रति वर्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 2018 तक मेडीक्लेम बीमा खाते से प्रीमियम कटौती कर करवाया जाता रहा है और उन्हें काफी समय बाद जानकारी हुई कि बीमा कंपनी ने वर्ष 2019 की पॉलिसी नवीकरण नहीं करते हुए बैंक को प्रीमियम रिफंड कर दिया, लेकिन बैंक ने इसकी जानकारी परिवारी को नहीं दी। परिवारी ने बाद में अपना बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया। 2022 में घटने की सर्जरी का दावा बीमा कंपनी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि 6 साल से घटने की तकलीफ है। अधिवक्ता अनिल भंडारी ने बहस करते हुए कहा कि एम्स अस्पताल ने तीन साल से घटने की समस्या बताई है, लेकिन कहीं पर यह नहीं आया कि तीन या छह साल पहले घटने खराब हो चुके हैं।

जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवार मंजूर करते हुए बैंक और बीमा कंपनी पर बीस बीस हजार रुपए हर्जाना व दस हजार रुपए परिवार व्यय लगाते हुए कहा कि 67 वर्षीय महिला के घटने दुखने से यह निष्कर्ष निकालना कि घटने पहले से ही खराब हो गए हो और ईश्वर का धर्म पार दावा खारिज किया जाना बीमा कंपनी की सेवा में कमी और त्रुटि है।

खेलते-खेलते टाई हुक में फंसी, दम घुटा, बच्चे की मौत

बीकानेर । यहां 10 साल के बच्चे की खेल-खेल में मौत हो गई। बच्चा स्कूल से घर लौटकर अपने भाई के साथ खेल रहा था। अचानक उसकी टाई एक हुक में फंस गई, निकलने के लिए बच्चा घूमता गया, लेकिन टाई गले में फंसी गई और उसका दम घुटा गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर मां रसोई से आई और बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना बीकानेर के श्रीद्वारागढ़ तहसील के गांव गुसाईसर बड़ा में है। बच्चे के दादा पेमाराम प्रजापत ने बताया कि पोता कानाराम कुमहार (11) अपने भाई-बहन के साथ गुसाईसर बड़ा के एक स्कूल में पढ़ता था। छुट्टी के बाद तीनों घर लौटे थे। उनकी मां बच्चों का खाना परोसने रसोई में चली गई। दोनों पोते कमरे में खेलने लगे। कानाराम की टाई खुंटी में अटक गई। वह घूमता गया और टाई उसके गले में फंस गई। हॉस्पिटल लेकर गए तब तक

री